## न्यायालय जिला कलक्टर, पाली
### पीठासीन अधिकारी : श्री एल.एन. मंत्री, आई.ए.एस.

**राजस्व विविध प्र.सं. : 31/2018**

**जी.सी.एम.एस. : 2018/00270**

| प्रार्थी | बनाम | अप्रार्थीगण |
|---|---|---|
| राजेन्द्र सिंह पुत्र श्री नारायण सिंह जाति राजपूत निवासी गुन्दोज तहसील व जिला पाली (राज.) | | 1. परियोजना निदेशक, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण मानपुरा भाकरी रोड़ सर्किट हाउस के पास, टैगोर नगर पाली (राज.)<br>2. भूमि अवाप्ति अधिकारी (अतिरिक्त जिला कलक्टर) पाली (राज.) |

**अन्तर्गत धारा 3 G (V) राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956**

**–: निर्णय :–**

**दिनांकः– 23.09.2024**

प्रार्थी की ओर से उनके अधिवक्ता ने यह प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा अन्तर्गत धारा 3G(v) राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 के तहत सक्षम प्राधिकारी (भूमि अवाप्ति) पदेन अतिरिक्त जिला कलक्टर पाली के अवॉर्ड की पुनर्गणना कराने बाबत् पेश किया। प्रार्थना–पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। वक्त बहस अधिवक्ता उभयपक्ष अनुपस्थित रहने से प्रकरण में गुणावगुण के आधार पर निर्णय पारित किया गया।

प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत माध्यस्थम प्रार्थना–पत्र में निवेदन किया कि प्रार्थी व प्रार्थी के परिवार की संयुक्त खातेदारी की गांव तोगावास पटवार हल्का गुन्दोज II, भू–अभिलेख क्षेत्र गुन्दोज तहसील व जिला पाली के खसरा संख्या 1178 आई हुई है। प्रार्थी व प्रार्थी के भाईयों के बंटवारा अनुसार खसरा संख्या 1178 के अलग–अलग बट्टे संख्या दर्ज किये गये जिसमें 1178/1 भूमि अवाप्त की गई। प्रार्थी के दादाजी किशोर सिंह थे जिनके चार पुत्र क्रमशः रूप सिंह, जोर सिंह, नारायण सिंह व बन्ने सिंह है। प्रार्थी नारायण सिंह का पुत्र है। जैर आराजी मूल रूप से किशोर सिंह के नाम दर्ज थी व क्रमिक विरासत के नामान्तरकरण के आधार पर जैर आराजी प्रार्थी के नाम दर्ज हुई। अप्रार्थी संख्या 01 द्वारा उपरोक्त भूमि अवाप्त की गई जिसमें प्रार्थी सहित सभी का बराबर हिस्सा ही अवाप्त किया गया परन्तु अप्रार्थी द्वारा अवाप्त भूमि के मुआवजे का वितरण समान रूप से नहीं होकर प्रार्थी को कम मुआवजा दिया गया। पूर्व में जब मुआवजा दिया गया तब प्रार्थी को बारह हजार नौ सौ अठतर रूपये दिये परन्तु अन्य भाईयों को अड़तीस हजार नौ सौ चौतीस रूपये दिये गये। समान भूमि अवाप्त होने के बावजूद भी प्रार्थी को कम मुआवजा दिया गया, वर्तमान में अतिरिक्त मुआवजा देने के समय भी प्रार्थी का मुआवजा कम आका गया। इस प्रकार उपरोक्त अनुसार अन्य भाइयों के समतुल्य भूमि अवाप्त होने के बाद भी प्रार्थी का मुआवजा कम आका गया। अतः प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र स्वीकार फरमावे व अवांप्त सुदा भूमि का वास्तविक व उचित निर्धारण कर समान मुआवजा दिलाया जावे।

जिला कलक्टर, पाली

अप्रार्थी संख्या 01 व 02 की ओर से प्रस्तुत जवाब के अनुसार मूल खसरा संख्या 1178 की अवाप्तसुदा भूमि 0.126 हैक्टेयर भूमि का मुआवजा राशि तीन लाख ग्यारह हजार चार सौ बेहतर रूपये तय की गई तथा अप्रार्थी संख्या 02 द्वारा गांव तोगावास तहसील पाली में अवाप्त की गई भूमि के मुआवजा निर्धारण हेतु पटवारी गुन्दोज II द्वारा

Scanned with ACE Scanner

तैयार खातेदारान् का हिस्सा विवरण के आधार पर किया गया जिसमें प्रार्थी का हिस्सा 1/24 दर्शाया गया है तथा उसी अनुरूप मुआवजे की राशि तय की गई जो कि विधिक एवं नियमानुसार ही प्रार्थी के पक्ष में अवॉर्ड जारी किया गया है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र सारहीन होने से खारिज फरमावे।

उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन एवं अध्ययन: करने पर प्रकरण में यह सुस्पष्ट होता है प्रकरण में आवेदक का यह कथन है कि

जैर आराजी में प्रार्थी का 1/12 हिस्सा भूमि थी जिसे अप्रार्थी द्वारा अवाप्त कर लिया गया जिसकी एवज में अप्रार्थी द्वारा 1/24 हिस्से की मुआवजा राशि तय की गई। प्रकरण में तहसीलदार पाली से प्राप्त रिपोर्ट अनुसार जैर आराजी में प्रार्थी का 1/12 हिस्सा था जिससे प्रथम–दृष्ट्या यह स्पष्ट होता है कि अवाप्तशुदा भूमि में प्रार्थी का 1/12 हिस्सा था जबकि सक्षम अधिकारी द्वारा प्रार्थी को 1/24 हिस्से की ही मुआवजा राशि तय की जो एक अन्वेषण का विषय है एवं प्रथम–दृष्ट्या ही अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जारी किये गये अवॉर्ड में गणितीय त्रुटि दृष्टिगोचर होती है। अतएव भूमि अवाप्ति अधिकारी (अतिरिक्त जिला कलक्टर) पाली को प्रति प्रेषित कर निर्देशित करते है कि प्रकरण में पक्षकारान् को सुनवाई का समुचित अवसर देकर हमारे द्वारा किये गये उपरोक्त प्रेक्षणों को दृष्टिगत रखते हुए मुआवजे का पुनर्निर्धारण तीन माह की अवधि में किया जाना सुनिश्चित करे।

निर्णय आज दिनांक **23.09.2024** को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर सरे इजलास सुनाया गया।

(एल.एन. मंत्री)
जिला कलक्टर, पाली
जिला कलेक्टर, पाली

Scanned with ACE Scanner